न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची

एस0ए0आर0अपील वाद सं0–04 आर.15/07–08

दशवा टोप्पो वगैरह – अपीलकर्त्ता

बनाम

लाल मनीनाथ शाहदेव – प्रतिवादी

आदेश

20-12-2007 यह अपील एस0ए0आर0 वाद सं0–275/06–07 में श्री देवनीश किडो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक–15.12.2006 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
हेहल	14	80, 130	20 कट्ठा

अपीलकर्त्ता के आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन उनकी पुश्तैनी सम्पत्ति है जो खतियान में उनके दादा राम उरॉव वगैरह के नाम दर्ज है। हाल में जाली कागजात बनाकर प्रतिवादी एवं उनके विक्रेता ने 20 कट्ठा जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। जमीन वापसी हेतु उन्होंने निम्न न्यायालय में वाद दायर किया परन्तु बिना विस्तृत जॉच के वाद को खारीज कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी ने जिस वाद सं0–48 आर.8/59–60 में अनुमति की बात कही है उसमें आवेदक बुधू उरॉव थे जो खतियानी रैयत के वंशज नही थे। प्रभारी उपसमाहर्त्ता , जिला अभिलेखागार ने पत्रांक–187 दिनांक–23.8.2007 द्वारा उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार , सदर, राँची को सूचित किया है कि वाद सं0–48आर.8/59–60 मदन सिंह बनाम बुधू उरॉव से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि जमीन का हस्तांतरण अवैध रूप से हुआ है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में प्लॉट नं0–130 एवं 80, रकबा–46 डी0 जमीन सम्मिलित है। धारा 49 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद सं–48 आर. 8 II/59–60 दिनांक––30.10.59 को दशवा उरॉव को एवं 106 आर. 8 II/59–60 में दिनांक–09.8.60 को सुन्दरा उरॉव को जमीन हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त हुई। डी0 एन0 सिन्हा एवं देवरानी सिन्हा ने सुन्दरा उरॉव से निबंधित बिक्री पट्टा संख्या 1191/5–9–1960 एंव 6078/18–10–1960 द्वारा विवादित जमीन खरीदा। क्रेता ने यह जमीन निबंधित विक्रय पत्र द्वारा ज्ञान राय को दिनांक 11.05.1985 एंव 27.08.1986 को हस्तांतरित किया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पूर्व में सुन्दरा उरांव ने एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–4/1987 दायर किया था, जो 27.6.1989 को खारिज हो गया। इसके विरुद्ध उपायुक्त के न्यायालय में अपील संख्या–52 आर.15/89–90 दायर किया गया जो खारिज हो गया। पुनः सुन्दरा उरांव ने ज्ञान राय के विरुद्ध एस. ए. आर. वाद संख्या 118/92–93 दायर किया जो 1995 में खारिज हो गया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादियों ने विवादित जमीन ज्ञान राय से 04.04.2001 एंव 21.11.2003 को क्रय किया है तथा नामान्तरण भी हुआ है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित बहस एंव संबंधित कागजात भी दाखिल किया गया है जिसमें मौखिक बहस के तथ्यों का ही उल्लेख है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में 1987 बी एल टी 234,1990 बी. एल. टी. 352, 2003 (4) जे. सी. आर. 232 आदि में प्रकाशित निर्णयों का उद्धरण दिया गया है।

वर्त्तमान वाद, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा अंतिम सुनवाई के दौरान उभय पक्षों के बहस से यह स्पष्ट है कि ग्राम हेहल, खाता सं0–14, खेसरा सं0–80, 130 के अन्तर्गत रकबा–20 कट्टा पर विवाद चल रहा है। यह भी निर्विवाद है कि विविध वाद सं0–6 आर.8–II/59–60 के द्वारा सुन्दरा उरॉव ने खाता सं0–14 के अन्तर्गत खेसरा सं0–80 में 20 डी0 भूमि श्रीमती देवरानी सिन्हा को बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के

अन्तर्गत प्राप्त किया। यह अनुमति दिनांक–09.08.1960 को तत्कालीन उपायुक्त श्री एस0 के0 चक्रवर्ती के द्वारा दी गई थी। अनुमति के पश्चात् उपरोक्त जमीन को 18.10.1960 को सुन्दरा उरॉव द्वारा देवरानी सिन्हा को हस्तांतरित किया गया।

विविध वाद सं0–48 आर.8–II/59–60 के द्वारा दशवा उरॉव ने खेसरा सं0–130 के अन्तर्गत 30 डी0 भूमि डी0एन0 सिन्हा को बेचने की अनुमति प्राप्त की और तदनुसार 15.02.1960 को भूमि हस्तांतरण का निबंधन किया गया।

कालान्तर में देवरानी सिन्हा और देवनन्दन सिन्हा ने खरीदी गई भूमि दिनांक–28.05.1985 और 27.05.1987 को ज्ञान राय को निबंधित बसीका के द्वारा वर्ष 2001 एवं वर्ष 2003 में हस्तांतरित किया। वर्त्तमान प्रतिवादियों को विवादास्पद जमीन 04.01.2001 और 21.11.2003 को ज्ञान राय ने हस्तांतरित कर दिया।

तदोपरान्त लालमनी शाहदेव के नाम नामांतरण वाद सं0–3964 आर. 27/03–04 द्वारा दाखिल भी स्वीकृत किया गया और प्रतिवादी अभी तक दखलकार है। जहॉ तक भूमि के अवैध हस्तांतरण का प्रश्न है, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अन्तर्गत उपायुक्त, राँची की अनुमति से भूमि का हस्तांतरण हुआ हैं

धारा–49(5) में यह प्रावधान है कि इस प्रकार की अनुमति को अनुमति प्रदान करने के 12 वर्षो के अन्दर ही रद्द किया जा सकता है। वर्त्तमान मामलें में 40 वर्ष से अधिक समय बीत चुके है। इसलिए अनुमति को रद्द नही किया जा सकता है। वर्त्तमान अपील वाद पूर्वादेश (रेस्ट जुडीकाटा) से भी प्रभावित है क्योंकि सुन्दरा उरॉव द्वारा पूर्व में एस0 ए0 आर0 वाद सं0–4/87 दायर किया गया था जो 27.06.1989 को अस्वीकृत कर दिया गया। निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्व सुन्दरा उरॉव ने अपील वाद सं0–52 आर. 15/89–90 दायर किया जिसे उपायुक्त न्यायालय द्वारा 06.04.1991 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सुन्दरा उरॉव ने एक अन्य एस0ए0आर0 वाद सं0–18/92–93 उसी भूमि की वापसी के लिए ज्ञान राय के विरूद्व दायर वाद दिनांक– 15.05.1995 को अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः वर्त्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता को कोई प्रतिकार देने योग्य नही है क्योंकि भूमि का हस्तांतरण सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बाद हुआ है और पूर्व में भी अपीलकर्त्ताओं के द्वारा वाद दायर किया गया था जो अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की परिवर्त्तन की गुंजाईश नही है। अपील वाद अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

दिनांक–20.12.2007

ह0/–

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।